



Office of the District Basic Education Officer KANPUR NAGAR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that Shri Ram International School ,Nandana Patarsa Patara Ghatampur Kanpur Nagar is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number allotted to Shri Ram International School is 29590-99.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE 27-08-2024(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type Old

4. School Type Upper Primary School(6 to 8)

5. Recognition No. 29590-99

DATE:- 27-08-2024

PLACE:- KANPUR NAGAR

District Basic Education Officer
Signature valid
Digitally signed by SUGIL KUMAR SINGH
Date: 2024-08-27 13:12:36
Reason: For Digital Signature
Location: KANPUR NAGAR



Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in



Office of the District Basic Education Officer KANPUR NAGAR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **Shri Ram International School ,Nandana Patarsa Patara Ghatampur Kanpur Nagar** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number allotted to Shri Ram International School is 30013-22/2020-21.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE 14-09-2024(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type Old

4. School Type Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

DATE:- 14-09-2024

PLACE:- KANPUR NAGAR

District Basic Education Officer

Digitally signed by SURJIT KUMAR SINGH
Date: 2024.09.14 15:40:17
Reason: For Digital Signature
Location: KANPUR NAGAR

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक: प्रामान्यता-अंग्रेजी माध्यम / 30013-22 / 2020-21 दिनांक: 12.3.2021

प्रबंधक,

श्रीराम इन्टर नेशनल स्कूल
ग्राम पतरसा, नंदना, पतारा, घाटमपुर कानपुर नगर।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041 बेसिक शिक्षा अनुमान-3 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अरसठ-3-2020-2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुमान-3 दिनांक 29 जून-2020 में निर्दिष्ट निर्देशों / कार्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और जाँच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति कानपुर नगर की बैठक दिनांक 27.02.2021 को लिए गए नियम के आधार पर मैं, श्रीराम इन्टर नेशनल स्कूल, ग्राम पतरसा, नंदना, पतारा, घाटमपुर कानपुर नगर को शिक्षा सत्र 2021-22 से एक शैक्षिक सत्र के लिये कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विविधित नहीं है।
- 2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांचं 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपांचं-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3—विद्यालय कक्षा-1 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4—पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5—सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृति किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यताग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम् अर्हताओं के साथ किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालय में शिक्षणकार्य टी0इ0टी0उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाय।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 के अधीन विर्तिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

कमश: 2 प

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक- प्र०म०लि०-४/ २९५९०-७७

/ २०२०-२१

दिनांक २७.२.२१

प्रबन्धक,

श्री राम इण्टरनेशनल स्कूल,

मताला, तन्दुरा, प्रताला, मान्यता प्रमाण-पत्र।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा १४ के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं-८९/अरसठ-३-२०१८-२०४१/२०१८ बेसिक शिक्षा अनुगाम-३ लखनऊ दिनांक ११ जनवरी २०१९ एवं शासनादेश संख्या-१९६/अडसठ-३-२०२०-२०४१/२०१८ दिनांक २९ जून २०२० बेसिक शिक्षा अनुगाम-३ में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक २५-०२-२०२१ को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं श्री राम इण्टरनेशनल स्कूल, पतरसा, नन्दना, पतरा, घाटमपुर, कानपुर नगर को कक्षा ६ से कक्षा ८ तक के लिये अंग्रेजी माध्यम औपचारिक (अरथात्) मान्यता प्रदान करना एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यादीन है-

१-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

२-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांच-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपांच-२) के उपबन्धों का पालन करेगा।

३-विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पडोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

४-पैरा- ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-१२ की उप धारा (२)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

५-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संखाक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यादीन नहीं करेगा।

६-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-१५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यादीन नहीं किया जायेगा।

III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःस्वत्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-२३ (१)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विर्निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

७- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

८- विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथा विर्निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

क०स०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
१	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	८००० वर्ग मीटर
२	कुल निर्मित क्षेत्र	३१३६ वर्ग मीटर
३	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	-
४	कक्षाओं की संख्या	५
५	प्रधानाध्यापक - सह कार्यालय- सह भण्डारागार के लिये कक्ष	२
६	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	२/२
७	पेय जल सुविधा	सबमर्सिवल पम्प उपलब्ध है।
८	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
९	अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल-कूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।